

जेडीए का फर्जी पट्टा बनाकर चार करोड़ रुपये में प्लॉट बेचने वाली गैंग पुलिस के हत्थे चढी

गैंग के मुख्य आरोपी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया

जयपुर। श्याम नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक प्लाट का जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) का फर्जी पट्टा और मुख्तयारनामा बनाकर चार करोड़ रुपये में बेचने करने वाली गैंग के मुख्य आरोपित सहित तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण दिगंत आनंद ने बताया कि श्याम नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए की प्लाट का जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) का फर्जी पट्टा और मुख्तयारनामा बनाकर बेचने करने वाली गैंग के मुख्य अंशुल खन्ना (35) निवासी वैशाली नगर जयपुर, रिषभ देव शर्मा (35) निवासी हिण्डोन सिटी जिला करौली और राकेश कुमार सैनी (27) निवासी बास दयाल जिला अलवर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ में अंशुल खन्ना से सामने आया है कि उसे और उसके साथी विनय जांगिड़ तथा चेतन शर्मा को रुपयों की आवश्यकता थी। जिन्होंने चेतन के जानकार अविनाश शर्मा से जून 2024 में 38 लाख रुपये उधार लिये थे। जिसके बदले में उसने अपना 56 लाख का चौक भरकर गिरवी रखा था। रुपये उसके खाते में ऑनलाइन आये थे। जिसमें से 18 लाख रुपये चेतन शर्मा एवं 10 लाख रुपये विनय जांगिड़ को ट्रांसफर कर दिये। लेकिन अविनाश शर्मा ने एक माह बाद ही रुपये मांग लिये। लेकिन रुपये की व्यवस्था नहीं हो पायी। इस वजह से गैंग के अन्य सदस्यों को शां मिल कर रुपये ठगने की योजना बनायी।

पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण ने बताया कि सितम्बर-2024 में गोविन्द नारायण परतानी ने श्याम नगर थाने में



श्याम नगर थाना पुलिस ने जयपुर विकास प्राधिकरण का फर्जी पट्टा बनाकर बेचने करने वाली गैंग के तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।

- पूछताछ में सामने आया कि उन्होंने जेडीए की वेबसाइट से प्लॉट के मालिक के बारे में डिटेल ली। एडिटिंग टूल्स का यूज कर फेक मुख्तारनामा व चालान रसीद तैयार की। उस पर उप पंजीयक-5 जयपुर की फेक सील-मोहर लगाकर तैयार कर ली। ऑरिजिनल ऑनर श्यामा परतानी के आधार कार्ड में एडिटिंग कर महिला की जगह पुरुष की फोटो लगा दी। महिला की जगह पुरुष और पति की जगह पुत्र कर दिया।**

शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने अपनी पत्नी श्यामा देवी के नाम से साल-1981 में एक प्लॉट विवेक विहार में खरीदा था। साल-2021 में जेडीए का शिविर लगने पर लीज रकम जमा करवाकर पत्नी के नाम जेडीए पट्टा ले

लिया था। प्लॉट की बाउंड्री वॉल बनाकर गेट व ताला लगाकर स्वामित्व में ले रखा है। रिश्तेदार ने कॉल कर बताया कि उनके प्लॉट के फेक पेपर मार्केट में आए हैं। इसमें उनकी पत्नी की जगह श्यामा परतानी नाम से आदमी का रजिस्टर्ड

पट्टा, साइट प्लान व मुख्तारनामा आदि भी है। उसके साथ मिले मोबाइल नंबर पर कॉल करने वाला खुद का नाम विक्रम सिंह बता रहा है। प्लॉट बेचने वाले के संबंध में पूछने पर प्रॉपर्टी डीलर का पता नहीं बताया। जांच में सामने आया है कि

विवेक विहार का मुख्तारनामा पंजीयन ऑफिस-5 में रजिस्टर्ड ही नहीं है। प्लॉट का ओरिजिनल पट्टे से बनाए गए फेक पट्टे में महिला की जगह आदमी की फोटो लगाई गई है। फेक मुख्तारनामा धारक अंशुल खन्ना और गवाह राकेश कुमार सैनी व रिषभ शर्मा हैं। पुलिस टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी दलबीर सिंह ने बताया कि पूछताछ में अंशुल खन्ना से सामने आया है कि उन्होंने जेडीए की वेबसाइट से प्लॉट के मालिक के बारे में डिटेल ली। एडिटिंग टूल्स का यूज कर फेक मुख्तारनामा व चालान रसीद तैयार की। उस पर उप पंजीयक-5 जयपुर को फेक सील-मोहर लगाकर तैयार कर ली। ओरिजिनल ऑनर श्यामा परतानी के आधार कार्ड में एडिटिंग कर महिला की जगह पुरुष की फोटो लगा दी। महिला की जगह पुरुष और पति की जगह पुत्र कर दिया। प्लान के तहत सीए दोस्त चेतन शर्मा को प्लॉट बेचने के लिए खरीदार लाने की जिम्मेदारी दी। चेतन शर्मा ने अपने जानकार नरेश कुमार गुप्ता को प्लॉट व डॉक्यूमेंट दिखाए। डील फाइनल होने पर नरेश कुमार गुप्ता से एग्रीमेंट कर कुल 7.5 लाख रुपए ले लिए, लेकिन उसको रजिस्ट्री नहीं करवाई। वहीं राकेश सैनी जिस सेंट के पास काम करता है, वह बहुत पैसे वाला है। उसको प्लॉट दिखाने पर वह नरेश कुमार से ज्यादा रुपयों में खरीदने को राजी हो गया। प्लॉट का सौदा सेंट जानकी शरण से 3.20 करोड़ में कर बेचान कर दिया। उनकी बहू सपना के नाम उपपंजीयक ऑफिस 10 जयपुर में रजिस्ट्री करवा दी। उनसे मिले रुपयों को गैंग के सदस्यों ने आपस में बांट ली।

‘वक्फ संशोधन बिल मुस्लिम बहनों के सम्मान को बढ़ावा देने वाला’

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठी डू ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल मुस्लिम बहनों के सम्मान को बढ़ाने वाला बिल है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम बहनों और गरीब मुसलमान लोगों के सम्मान, कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं तो ऐसे में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस बिल के बाद भी वक्फ की संपत्तियों से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। विपक्ष इस बिल को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे है लेकिन अब मुस्लिम वर्ग अब कांग्रेस के बहकावे में आने वाला नहीं है। राठी डू ने कहा कि इस बिल के बाद वक्फ प्रबंधन टीम में मुस्लिम बहनों को शामिल किया जाएगा किया है। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

बेहतर जीवन स्तर से समृद्ध होंगे सीमावर्ती गांव : भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान किए गए “वाइब्रेंट विलेज्स कार्यक्रम” को सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों के समग्र विकास की दिशा में सशक्त पहल बताया है। उन्होंने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। शर्मा ने कहा कि यह कार्यक्रम राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास एवं नागरिकों के जीवन स्तर को अधिक बेहतर बनाने में परिवर्तनकारी सिद्ध होगा। उल्लेखनीय है कि वाइब्रेंट विलेज्स

- मुख्यमंत्री ने “वाइब्रेंट विलेज्स कार्यक्रम” के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया**

कार्यक्रम द्वितीय के अन्तर्गत राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर (यूटी), लद्दाख (यूटी), मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांवों को शामिल किया जाएगा।

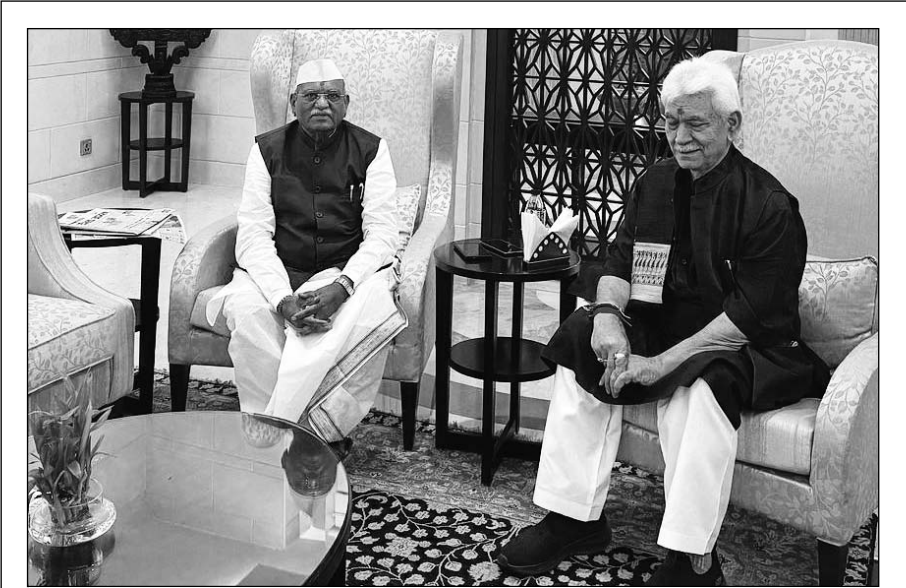
23 नये सरस डेयरी उत्पादों की लान्चिंग

जयपुर। राजस्थान की अग्रणी सहकारी डेयरी जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (सरस जयपुर डेयरी) ने सामाजिक सरोकारों ऊर्जा संरक्षण, जैविक कचरे से घरेलू गैस उत्पादन और नये दुग्ध उत्पादों की लॉन्चिंग कर ऐतिहासिक पहल की। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित एक भव्य समारोह में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के लिये सरस मायरा योजना का शुभारम्भ किया गया जिसके तहत डेयरी से जुड़े प्रत्येक दुग्ध उत्पादक की अधिकतम दो बेटियों की शादी में सरस डेयरी की ओर से 21 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जावेगी। मायरा योजना की शुरुआत के अवसर पर ही डेयरी से जुड़ी दो लाभार्थी महिला दुग्ध उत्पादकों को 21-21 हजार रुपये के बैंक भी भेंट किये गये। फलैक्सी बायोगैस योजना का शुभारम्भ भी दो महिला दुग्ध उत्पादक लाभार्थियों को बैंक वितरण के साथ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को जैविक कचरे से घरेलू गैस उत्पादन के लिये 5 हजार रुपये का अनुदान दिया जायेगा। योजना के अन्तर्गत हर माह औसतन 1.5 गैस सिलेण्डर जितनी गैस का उत्पादन होगा। इसी प्रकार ग्रीन



जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में जयपुर डेयरी की महिला सशक्तिकरण की अभिनव पहल-सरस मायरा योजना का शुभारम्भ किया गया। इस योजना की शुरुआत के अवसर पर ही डेयरी से जुड़ी दो लाभार्थी महिला दुग्ध उत्पादकों को 21-21 हजार रुपये के बैंक भी भेंट किये गये।

ऐनर्जी उत्पादन के लिये रुफटॉप सोलर प्लांट योजना का भी शुभारम्भ किया गया। रुफटॉप सोलर प्लांट योजना के



राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से शनिवार को दिल्ली में जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल और जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की यह शिष्टाचार भेंट थी।

केंद्र और राज्य श्रमिक हितों के लिए चला रहे कई योजनाएं : दिया कुमारी

- विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की नवीन कार्यकारिणी बने नव परिवर्तन का आधार**

उन्होंने कहा कि किसी भी देश की संघर्ष अर्थव्यवस्था राजमार्गों पर निर्भर करती है, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने राजमार्गों और सड़क नेटवर्क को विकसित करने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। जिससे बेहतर कनेक्टिविटी बनी है, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों और दूरदराज के स्थानों में। इससे उद्योग, ट्रांसपोर्टर्स और आमजन को फायदा हुआ है।

उपमुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि केंद्र और राज्य सरकार भी श्रमिक हितों और कौशल विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है, आप एसोसिएशन के माध्यम

‘सीजीएसटी अपीलीय प्राधिकारी के यहां वीसी से सुनवाई क्यों नहीं’

- हाईकोर्ट ने करदाताओं की ओर से कई बार आवेदन करने के बाद भी उन्हें वर्चुअल हियरिंग की सुविधा नहीं देने को गंभीर माना है**

जयपुर। हाईकोर्ट ने करदाताओं की ओर से कई बार आवेदन करने के बाद भी उन्हें सीजीएसटी अपीलीय प्राधिकारी की ओर से वर्चुअल हियरिंग की सुविधा नहीं देने को गंभीर माना है। अदालत ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई है तो फिर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा करदाताओं को वर्चुअल सुनवाई उपलब्ध नहीं करना क्या ऐसा कोई उचित कारण नहीं है। अदालत ने कहा कि करदाताओं को यदि बुनियादी ढांचे के अभाव में वर्चुअल सुनवाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है तो केन्द्र सरकार को अपनी बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाना चाहिए और

देवनानी कल गोवा जाएंगे

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सोमवार को गोवा जायेंगे। देवनानी 7 व 8 अप्रैल को दो दिवस की गोवा यात्रा पर जयपुर से सोमवार को प्रातः 8 बजे वायुयान से रवाना होकर नार्थ गोवा पहुंचेंगे। देवनानी दो दिवस की गोवा यात्रा के दौरान वहां आयोजित राजस्थान स्थाना दिवस समारोह, भारत सरकार के राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद की बैठक सहित प्रवासी राजस्थानियों और सिंधी समाज सहित अनेक कार्यक्रमों भाग लेंगे। देवनानी गोवा में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग के राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद की बैठक में भाग लेंगे।

प्रोजेक्ट पर यथास्थिति के आदेश

जयपुर। अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-9 जयपुर महानगर प्रथम ने एमओयू की शर्तों की पालना नहीं करने पर शिवशान डवलपर्स व अन्य को पारबंद किया है कि वह आदर्श नगर में बने रहे प्रोजेक्ट के फ्लैट्स पर यथास्थिति बनाए रखे। अदालत ने यह आदेश नर्मदा देवी व अन्य के प्रार्थना पत्र पर दिए।

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि दोनों पक्षकारों के बीच एमओयू हुआ था। जिसमें एफएआर पर 5.5 फीसदी निर्मित एरिया वादी को दिया जाना था, लेकिन विपक्षी बिल्डर ने इससे इनकार कर दिया। ऐसे में उसे पारबंद किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।

अपील्स, सीजीएसटी जयपुर को कहा है कि वे शपथ पत्र पेश कर बताएं कि उन्होंने प्रार्थी को वर्चुअल हियरिंग की सुविधा क्यों नहीं दी। वहीं अदालत ने याचिका की कॉपी एएसजी ऑफिस को भिजवाते हुए उनसे पूछा है कि वे केन्द्र सरकार से निर्देश प्राप्त कर बताएं कि प्रार्थी फर्म को वर्चुअल हियरिंग से मना क्यों किया गया। दअसल सीजीएसटी ने याचिकाकर्ता फर्म की 37.50 लाख रुपए की डिमांड निकाली थी।

चेटीचंड के अवकाश के दिन क्रिकेट मैच लीग के आयोजन का मामला गर्माया

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आई.सी.एस.आई.) के जयपुर चैप्टर की कार्यकारी समिति द्वारा गत 30 मार्च को क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन करने का विरोध गमा गया है। बताया जा रहा है कि इस दिन चेटीचंड अवकाश था और इस संदर्भ में समिति के चेयरमैन विवेक शर्मा व सचिव वरूण मेहरा को 2 बार सिंधी समाज के एक सदस्य ने पत्र लिखकर आपत्ति भी दर्ज करवायी थी। इसके बावजूद ना तो उन्होंने सिंधी समाज की धार्मिक आस्था का ख्याल रखते हुए मैच की तारीख बदली और ना ही आपत्ति दर्ज करवाने वाले सदस्य को कोई पत्र का जवाब दिया।

इस मामले में जब विवेक शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जयपुर चैप्टर में 2500 सदस्य है, हमें शिकायती पत्र मैच आयोजन के टीक 2-3 दिन पहले मिला था, ऐसे में आखिरी वक्त पर मैच रद्द करना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि क्रिकेट मैच का यह शेड्यूल हमने केन्द्रीय समिति से अप्रुब्ड भी करवाया था। उनका कहना है कि क्रिकेट मैच का आयोजन गैर अकादमिक श्रेणी में आता है, उन्हें प्रत्येक सत्र में ऐसा एक आयोजन करना ही होता है। ऐसे में क्रिकेट मैच रद्द करने

बीआईएस ने अमेज़न वेयरहाउस पर छापा डाला

जयपुर। भारतीय मानक ब्यूरो, राजस्थान की टीम ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म-अमेज़ोन के जयपुर में झोटावाड़ा स्थित वेयरहाउस पर भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के उल्लंघन हेतु 4 एवं 5 अप्रैल को तलाशी एवं जब्ती कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में वे उत्पाद जब्त किए गए। जिन्हें बिना मानक मुहर (आईएसआई मार्क एवं रजिस्ट्रेशन मार्क) विक्रय हेतु संग्रहित किया गया था। यह कार्रवाई कानिका कालिया, निदेशक एवं प्रमुख, बीआईएस राजस्थान के निर्देश पर बीआईएस के पांच अधिकारियों एवं अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा की गई जिसमें रमन कुमार निवेदी, वीपक लोदवाल, पवन कुमार, सुरेश कुमार गोपालन, संगीता चौधरी शामिल थे।

लक्ष्य पूरा नहीं करने पर सेवा परिलाभ नहीं रोक सकते : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि परिवार नियोजन का लक्ष्य पूरा नहीं करने के आधार पर ही किसी कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड में प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की जा सकती और ना उसके सेवा संबंधी परिलाभ रोके जा सकते हैं। वहीं अदालत ने याचिकाकर्ता के सर्विस रिकार्ड में की गई प्रतिकूल टिप्पणी को भी रद्द कर दिया है। अदालत ने आयुर्वेद विभाग के प्रमुख सचिव व निदेशक को निर्देश दिया है कि वे तीन महीने में प्रार्थी को चर्यनित वेतनमान व सभी परिलाभ दें। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश आयुर्वेद विभाग से रिटायर कंपाउंडर कमलेश कुमार गुप्ता की याचिका पर दिया।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता आयुर्वेद विभाग में कंपाउंडर के पद पर था। इस दौरान 1995-96 में परिवार नियोजन का तय लक्ष्य पूरा नहीं करने के चलते विभाग के अफसरों ने उसके सर्विस रिकार्ड में टिप्पणी कर दी। उसने विभाग के अफसरों को प्रतिवेदन भी किया, लेकिन उन्होंने टिप्पणी बहाल रखी। इसके साथ ही साल 1999 में उसे मिलने वाले चर्यनित वेतनमान का लाभ भी एक साल के लिए स्थगित कर दिया। हाईकोर्ट में इसे चुनौती देकर कहा कि साल 2004 के परिपत्र में कर्मचारी के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में परिवार

नियोजन लक्ष्य में कमी पर प्रतिकूल टिप्पणी करने पर पारबंदी लगाई गई है। परिवार नियोजन का जो लक्ष्य प्रार्थी को दिया था, उसे पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति का जबरन परिवार नियोजन नहीं कर सकते। कर्मचारी केवल प्रयास ही कर सकता है और लक्ष्य पूरा नहीं करने पर उसे दंडित नहीं किया जा सकता। ऐसे में उसके खिलाफ सर्विस रिकॉर्ड में की गई प्रतिकूल टिप्पणी को हटाते हुए उसे परिलाभ दिलाए जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने माना कि केवल परिवार नियोजन का लक्ष्य पूरा नहीं होने पर ही कर्मचारी के सेवा परिलाभ नहीं रोक सकते।